ईश्वरलाल प्रागजी देसाई (I.P. Desai)

आई.पी. देसाई ने हाई स्कूल सूरत और उच्च शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की, वहीं से सन 1942 में जी.एस. घुरिये के निर्देशन में "अपराध के सामाजिक आधार" विषय पर पी.एच.डी. की। सन् 1952 में वह एम.एस. विश्वविद्यालय बडौदा आ गए और 1966 में ऐच्छिक सेवानिवृत तक यहां रहे। 1969 में उन्होंने "एक प्रादेशिक विकास अध्ययन संस्थान" की स्थापना की जो बाद में सामाजिक अध्ययन केंद्र के रूप में परिणित हो गया। यहां वे सन् 1977 में अपनी सेवानिवृत तक निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। देसाई ने कई भिन्न विषयों पर शोध कार्य किया जिनमें अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां, ग्रामीण गुजरात में अस्पृश्यता, 1976 और विद्यार्थी आंदोलन, 1977 प्रमुख विषय रहे। उनका मानना था कि समाज वैज्ञानिकों को मात्र अमूर्त सिद्धांतों की रचना ही नहीं करनी चाहिए, अपितु एक उत्तम सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपने शोध अधिनियम एवं विश्लेषणों द्वारा समाज को बदलने का भी प्रयास करना चाहिए। उनके अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र भारतीय "संयुक्त परिवार" रहा, किंतु उन्होंने शिक्षा समाजशास्त्र और ज्ञान के समाजशास्त्र में भी योगदान दिया।

आई.पी.देसाई द्वारा संयुक्त परिवार का अध्ययन:-

प्रोफेसर आई.पी. देसाई ने अपनी पुस्तक "सम आस्पेक्ट्स आफ फैमिली इन महुआ" में सौराष्ट्र के एक छोटे कस्बे महुआ में परिवार की संयुक्तता पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है उन्होंने अपने अवलोकन की विभिन्न इकाइयां तथा उसकी प्रकृति के आधार पर यह सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया कि संयुक्त परिवार की प्रकृति वास्तविक आधार पर इसके सदस्यों में संयुक्तता की मात्रा है। देसाई के अनुसार घर को परिवार के रूप में देखना गलत दृष्टिकोण है, जबकि जनगणना तथा सर्वेक्षणों में परिवार की प्रकृति को देखने के लिए घरों को परिवार बताकर इसका अध्ययन करते हैं। देसाई ने तर्क दिया कि कुछ व्यक्ति एक घर में इसलिए रहते हैं कि वह आपस में एक दूसरे के संबंधी होते हैं, केवल एक घर में रहने के कारण ही वे एक दूसरे के संबंधी नहीं हो जाते हैं। यदि इस अर्थ में देखें तो परिवार मूल रूप से कुछ संबंधियों या नातेदारों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य एक दूसरे से अंतर्क्रियाएं करते हैं तथा यह अंतर्क्रियाएं सहयोग स्पर्धा या संघर्ष जैसी किसी भी रूप में हो सकती है।

देसाई ने महुआ कस्बे में परिवार के अध्ययन के लिए घर को अवलोकन की इकाई के रूप में स्पष्ट किया। उन्होंने यह वर्गीकरण तीन पक्षों को ध्यान में रखकर किया - (1) घर का आकार (२) एक घर से संबंधित सदस्यों के बीच नातेदारी संबंध तथा (३) घर में सदस्यों के बीच संपत्ति पर आधारित संबंध। इस दृष्टिकोण से उन्होंने घरों को निम्नांकित 6 प्रकारों में विभाजित किया :-

1- पति तथा पत्नी वाले घर
2- केवल एक सदस्य वाले घर
3- वह घर जिनमें पति-पत्नी तथा उनके बिना बच्चों वाले विवाहित पुत्र एवं अविवाहित पुत्र-पुत्रियां रहती हैं।
4- वे घर जिनमें रक्त संबंधियों के अतिरिक्त कुछ दूसरे संबंधियों का भी समावेश होता है।
5- वह घर जिनमें तीन पीढ़ियों तक के रक्त संबंधी निवास करते हैं। वह अगर जिनमें चार या उससे अधिक पीडिया तक के रक्त संबंधी होते हैं।

देसाई ने इस बात पर बल दिया की केंद्रक परिवार केवल आवास का एक विशेष प्रतिमान हैं और इसे एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। वास्तव में आवास की पृथकता को संयुक्त परिवार के कमजोर होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार उत्तराधिकार, विवाह , श्राद्ध तथा दैनिक जीवन में जन्म तथा मृत्यु आज से जुड़े हुए पारस्परिक कर्तव्य अथवा पवित्रता और अपविता संबंधी व्यवहार वे आधार हैं जिनसे किसी परिवार की संयुक्तता अथवा पृथकता को समझा जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया कि संयुक्त परिवार का तात्पर्य संयुक्तता के प्रतिमान का पाया जाना है तथा संयुक्त निवास इस प्रतिमान का केवल एक हिस्सा है।

देसाई ने अपनी पुस्तक के दूसरे भाग में इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या संयुक्त संपत्ति या संयुक्त निवास के बिना भी संयुक्त का प्रतिमान बना रह सकता है इसके लिएउन्होंने संयुक्त के चार तत्वों को आधार बनाकर इसका मूल्यांकन किया। संयुक्तता के यह तत्व हैं:- (१) संयुक्त आवास (२) संयुक्त संपत्ति (३) सदस्यों

द्वारा पारस्परिक दायित्वों को मान्यता तथा उनकी पूर्ति (४) नातेदारी संबंध। संयुक्तता से संबंध इन तत्वों के आधार पर देसाई ने विभिन्न घरों या गृहों को निम्नलिखित पांच भागों में विभाजित करके अध्ययन किया:-
(१) घर का पहला आकर वह है जिसमें संयुक्तता की मात्रा शून्य होती है, इसी को हम केंद्रक परिवार या नाभिकीय परिवार कहते हैं। यह परिवार वे हैं जिनका निर्माण या तो केवल एक सदस्य, जैसे- किसी विधवा स्त्री विधुर या अविवाहित व्यक्ति से होता है अथवा एक विवाहित दंपति तथा उनकी अविवाहित संतानों से होता है। ऐसे परिवार का दूसरे घरों से कोई संबंध नहीं होता है।
(२) दूसरा प्रकार वह है जिसमें निम्न स्तर की संयुक्तता पाई जाती है अथवा यह संयुक्तता केवल परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक दायित्वों के रूप में अभिव्यक्त होती है। यह भी केंद्रक परिवार का ही उदाहरण है, क्योंकि ऐसे घर में इस तरह का कोई दूसरा नातेदार नहीं रहता जिससे उनके संयुक्त संपत्ति पर आधारित कोई सम्बन्ध हो।
(३) तीसरा प्रकार हुआ है जिनमें संयुक्तता की प्रकृति इस अर्थ में कुछ अधिक होती है कि वे किसी न किसी रूप में एक संयुक्त संपत्ति से बंधे रहते हैं। ऐसा घर आवास के दृष्टिकोण से केंद्रक अथवा एकाकी होते हैं, लेकिन संयुक्त संपत्ति के कारण विभिन्न घरों के सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस अर्थ में अनेक परिवार महुआ से बाहर रहने के बाद भी महुआ के अपने मौलिक परिवार से संबंधित पाए गए हैं।
(४) चौथे प्रकार को देसाई ने" सीमांत संयुक्त परिवार" कहा है, जिनमें पति-पत्नी उनके बच्चे, पति या पत्नी में से किसी के माता-पिता अथवा कुछ अन्य आश्रित सदस्य रहते हैं। इनका दूसरे घरों से कुछ संबंध हो सकता है, लेकिन अनेक दशाओं में यह संभव है कि उनका इस तरह का कोई संबंध ना हो।
(५) यह वे घर हैं जिम संयुक्तता की मात्रा सबसे अधिक होती है तथा इसी कारण इन्हें परंपरागत संयुक्त परिवार कहा जाता है। ऐसे घरों में तीन या तीन से अधिक पीढ़यों के सदस्य निवास करते हैं, सभी सदस्य एक संयुक्त संपत्ति से संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं।

आई.पी. देसाई के अनुसार किसी घर में संयुक्तता की मात्रा अथवा गहराई की माप इस बात से भी की जा सकती है कि एक घर के सदस्य किस सीमा तक अपने नातेदारी समूह से संबंधित हैं। देसाई ने संयुक्तता की मात्रा का विभिन्न दशाओं से सहसंबंध जानने का भी प्रयत्न किया। उन्होंने यह पाया की संपत्ति तथा संयुक्तता के बीच एक सहसंबंध है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि संयुक्त संपत्ति परिवार की संयुक्ततता का आधारभूत कारण नहीं है। जहां तक नगरीकरण की प्रक्रिया का परिवार की संयुक्ततता से संबंध होने का प्रश्न है, कोई परिवार चाहे कितनी भी अवधि तक नगर में रहे, लेकिन इससे परिवार की संयुक्ततता समाप्त नहीं होती।

महुआ में किए गए अपने अध्ययन के आधार पर देसाई ने यह स्वीकार किया की वर्तमान में संयुक्त परिवारों की प्रकृति परंपरागत रूप से भिन्न हो सकती है, लेकिन भारतीय परिवारों में संयुक्तता की भावना आज भी विद्यमान है तथा इसके आगे भी बनी रहने की पूरी संभावना है।